P-8

राजस्थान सरकार

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,

तिलक मार्ग सी– स्कीम,जयपुर

क्रमांक –प.13/1/(3)/डी–22/वीएस/डीईएस/2001/19085-19116 दिनांक –2-7-2002

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं

जिला सांख्यिकी अधिकारी,

कलेक्ट्रेट समस्त राजस्थान

विषय:– लापता व्यक्ति के सम्बन्ध मे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध मे मार्ग दर्शन बाबत।

महोदय,

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 2 (ख) के अनुसार मृत्यु जीवित जन्म हो जाने के पश्चात् किसी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थाई तौर पर विलोपन अभिप्रेत है जहाँ तक जो व्यक्ति लापता है उसकी मृत्यु की अवधारणा का प्रश्न है ऐसी अवधारणा गुम होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के अवसान पर की जा सकती है।

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय नई दिल्ली से प्राप्त मार्ग दर्शन के अनुसार जिस व्यक्ति के बारे में सांविधिक अवधि तक कुछ भी पता न चले उसे सात वर्ष (पुलिस थाने मे एफ आई आर दर्ज करवाने के बाद से) पूरा होने के पश्चात् ही मृत माना जा सकता है उससे पहले नहीं।

जहाँ तक सात वर्ष से अधिक समय तक गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु की तारीख और स्थान के निर्धारण का सम्बन्ध है, यह एक तथ्यपरक प्रश्न है और सक्षम न्यायालय / प्राधिकारी द्वारा उनके सामने इस सम्बन्ध मे प्रस्तुत किये गये मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर इनका निर्धारण किया जाये। चूंकि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा नियमों में गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु की तारीख और स्थान के निर्धारण के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है अतः इस प्रयोजन के लिए दायर किए गए घोषणात्मक वाद मे न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख पर निर्भर किया जा सकता है।

अतः लापता व्यक्ति के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व निम्न प्रक्रिया आपनाई जानी चाहिये :–

1. पुलिस थाने मे गुमशुदा व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से सात वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिये।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के उक्त मार्ग–दर्शन अनुसार गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु की तारीख और स्थान के निर्धारण के लिये सक्षम न्यायालय / प्राधिकारी के समक्ष घोषणात्मक वाद (डिक्लेटीस्यूट) प्रस्तुत किया जावे तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित मृत्यु की तारीख और स्थान, मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिये मान्य होगी।
3. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9 (3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन सक्षम न्यायालय / प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख एवं स्थान के अनुसार करके रजिस्ट्रीकरण हेतु अनुज्ञा के आदेश जारी करेगें।

भवदीय